दिनांकः 25-08-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा कांवड यात्रा के दौरान उपद्रव करने वाले 05 वांछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.07.2024 को वादी अमन पुत्र लीलू नि0 ग्राम जमालपुर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत काँवड यात्रा के दौरान संजय ऑटोमोबाइल एजेन्सी के पास हिण्डन नदी पुल पर कुछ अराजक तत्वों (व्यक्तियों के झुण्ड) के द्वारा मार्ग को अवरूद्ध कर आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट की गयी तथा उपद्रवियों द्वारा मोटरसाइकिल संख्या - UP11CV1627 पर सवार मै और मेरे साथी (अमन पुत्र लीलू नि0 ग्राम जमालपुर थाना जनकपुरी) के साथ एक राय होकर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से मारपीट करने तथा मेरी मोटरसाइकिल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर देने की सूचना के आधार पर थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0- 137/24 191(2)/191(3)/115(2)/324(4)/109 बी0एन0एस0 बनाम सचिन आदि 07 समस्त निवासीगण हरियाणा के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था । विवेचना के क्रम में उपद्रव की वीडियोग्राफी प्राप्त होने पर अभियुक्तगण को चिन्हित किया गया । जिनकी पहचान 1.सचिन पुत्र सतपाल, 2.कर्ण सिंह पुत्र रमेश कुमार, 3.बिन्दर सिहं पुत्र अमरजीत, 4.जगदीप पुत्र बलबीर व 5.भूट्टा पुत्र लेखराम समस्त निवासीगण ग्राम थेह भनेडा तहसील गुल्ला थाना चिका जिला कैथल हरियाणा व दो अन्य के रूप में हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए उपद्रव करने वाले अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट प्रयवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.08.2024 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.सचिन पुत्र सतपाल, 2.कर्ण सिंह पुत्र रमेश कुमार, 3.बिन्दर सिहं पुत्र अमरजीत, 4.जगदीप पुत्र बलबीर व 5.भूट्टा पुत्र लेखराम समस्त निवासीगण ग्राम थेह भनेडा तहसील गुल्ला थाना चिका जिला कैथल हरियाणा को ग्राम थेह भनेडा जिला कैथल (हरियाणा) से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सचिन पुत्र सतपाल निवासी ग्राम थेह भनेडा तहसील गुल्ला थाना चिका जिला कैथल (हरियाणा)
2. कर्ण सिंह पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम थेह भनेडा तहसील गुल्ला थाना चिका जिला कैथल (हरियाणा)
3. बिन्दर सिहं पुत्र अमरजीत निवासी ग्राम थेह भनेडा तहसील गुल्ला थाना चिका जिला कैथल (हरियाणा)
4. जगदीप पुत्र बलबीर निवासी ग्राम थेह भनेडा तहसील गुल्ला थाना चिका जिला कैथल (हरियाणा)
5. भूट्टा पुत्र लेखराम निवासी ग्राम थेह भनेडा तहसील गुल्ला थाना चिका जिला कैथल (हरियाणा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. म0उ0नि0 सुश्री नेहा कुमारी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. का0 464 शोभित कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 25.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 215 ग्राम चरस बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2024 को पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण **आजम पुत्र यामीन नि0 ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को 110 ग्राम चरस के साथ व **मुजम्मिल पुत्र मुनसाद नि0 ग्राम अमादपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को** 105 ग्राम चरस के साथ, खैरी नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 135/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम लोग नशा करने के आदी है। हम लोग चरस हरियाणा से सस्ते दामों पर लाकर लाकर यहां महंगे दामों पर बेच देते है जिससे हमें काफी मुनाफा हो जाता है और बची हुई चरस से हम लोग भी अपने नशे की लत को पूरा कर लेते है

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. आजम पुत्र यामीन नि0 ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मुजम्मिल पुत्र मुनसाद नि0 ग्राम अमादपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 215 ग्राम चरस नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 जसपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 2216 वीरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 25-08-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 02 बैटरी बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.8.2024 को वादिया श्रीमति सुषमा रानी पत्नि विमल कुमार प्रधानाचार्या श्री हिन्दू कन्या इण्टर कालेज सहारनपुर थाना कोतवाली मण्डी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादिया के स्कूल से 12 वोल्ट की 12 छोटी बैटरी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 290/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए 01 शातिर चोर अभियुक्त **मौ0 अहमद पुत्र सईद अहमद निवासी भवा सराय थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को बाबा लालदास रोड शमशान घाट के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी 02 बैटरी 12 वोल्ट की बरामद हुई। अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ इसलिए मै चोरी कर चोरी के सामान को बेचकर अपने नशे की लत को पूरा कर लेता हूँ। दिनांक 06.08.2024 को भी मैने हिन्दू कन्या इण्टर कालेज से 12 बैटरी चोरी की थी जिनमे से 10 बैटरी मैने राह चलते किसी कबाडी को बेच दी थी। वह पैसे मैने अपने खाने पीने में खर्च कर दिये। इन दोनो बैटरी को भी बेचने के लिये जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 अहमद पुत्र सईद अहमद निवासी भवा सराय थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

12 वोल्ट की 02 छोटी बैटरी

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

मु0अ0सं0 24/23 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नैमचन्द सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का01761 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 2018 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 25.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा पशु चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से 02 भैंस व 01 कटिया (लवारा) बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को वादी श्री बिन्दू सिंह यादव पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम सम्भालकी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ने दिनांक 20.8.2024 को उसके घेर से 01 भैंस एवं श्री सुन्दर लाल पुत्र बिरम पाल निवासी ग्राम मथाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित दिनांक 22.8.2024 को रात्रि में उसके घेर से 01 भैंस मय नवजात कटिया की अज्ञात चोरो द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी जिसके आधार पर मु0अ0सं0 172/24 धारा 305ए बीएनएस एवं मु0अ0सं0 173/24 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण **1. जीशान उर्फ फाना पुत्र शहजाद नि0 ग्राम हरोड़ा थाना गागलहेड़ी सहारनपुर 2. हसीन पुत्र शहीद नि0 ग्राम ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर हाल ग्राम गन्देवड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर 3. बिलाल पुत्र इनाम नि0 ग्राम भूरी बांस कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम गंगाली आम के बाग से गिरफ्तार किया गया एवं मौके से ही 02 रास भैंस व 01 रास कटिया(लवारा) को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर तीनो गिरफ्तार अभियुक्तगण ने संयुक्त रूप से बताया कि यह भैंसे हम तीनो व हमारे तीन अन्य साथियों ने साथ मिलकर दिनांक 20.8.2024 की रात्रि में तालाब के पास ग्राम सम्भालकी गुर्जर सहारनपुर के घेर में से एवं दूसरी भैंस मय कटिया (लवारे) के ग्राम मथाना में गांव के बाहर बने घेर में से दिनांक 22.8.2024 की रात्रि में चोरी की थी और बेचने के लिये भैंसो को अलग अलग जगह पर रखा था। उसी दिन से हम इन दोनो भैसो के बेचने का काफी प्रयास कर रहे थे परन्तु हमे कोई ग्राहक नही मिल रहा था तो हमारे तीन अन्य साथी ग्राहकों की तलाश में ही इधर उधर गये हुये है आज हम इन भैंसो को यहां लाकर उन्ही का इन्तजार कर रहे थे तभी आपने हम तीनो को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. जीशान उर्फ फाना पुत्र शहजाद नि0 ग्राम हरोड़ा थाना गागलहेड़ी सहारनपुर
2. हसीन पुत्र शहीद नि0 ग्राम गन्देवड़ा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. बिलाल पुत्र इनाम नि0 ग्राम भूरी बांस कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 रास भैंस - मु0अ0सं0 172/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर स0पुर

➢ 01 रास भैंस मय कटिया (लवारा) मु0अ0सं0 173/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर स0पुर

अभियुक्त जीशान उर्फ फाना का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 130/21 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कोतवाली मन्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 330/21 धारा 307 भादवि थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 331/21 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना गागलहेड़ी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 333/21 धारा 414 भादवि थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 430/19 धारा 5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गागलहेड़ी सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 115/22 धारा 307/34 भादवि थाना ननौता सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 117/2022 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना ननौता सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 118/22 धारा 420/465 भादवि थाना ननौता सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 228/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ननौता सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 390/23 धारा 120बी/380/411/457 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 412/23 धारा 120बी/379/411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 420/23 धारा 120 बी/379/411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 477/23 धारा 307/420 भादवि व 3/4/25 आयुध अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 69/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गागलहेड़ी सहारनपुर

अभियुक्त हसीन का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 619/20 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 141/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 152/22 धारा 307 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 154/22 दारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 156/222 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 157/22 धारा 414 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 228/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बिहारीगढ सहारनपुर

अभियुक्त बिलाल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 99/20 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना गागलहेड़ी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 102/16 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गागलहेड़ी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 130/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेड़ी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम विवरण –

1. उ0नि0 सोनू राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 गौरव कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

5. उ0नि0 अंकित कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
7. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
8. है0का0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

दिनांकः 25.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे 10 ग्राम स्मैक बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **इन्तजार उर्फ खिचड़ी पुत्र इरफान निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ईदगाह के पास नसरूल्लागढ़ रोड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद किया गया बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 287/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त इन्तजार उर्फ खिचड़ी उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै ज्यादा पढ़ा लिखा नही हूँ मैं नशा करने का आदि हूं और कुछ स्मैक बेचकर मुनाफा कमा लेता हूं, जिससे मेरा खर्च चल जाता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इन्तजार उर्फ खिचड़ी पुत्र इरफान निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण –

- 10 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 971 राशिद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 558 संदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 25.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा स्कूल बस पर फायरिग करने वाले 01 बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया, कब्जे से 01 तंमचा/ 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना मे प्रयुक्त बुलट मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को वादी रवि कुमार पुत्र श्री बेगराज सिंह निवासी ग्राम भायला कला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से बस (UP11BT4877) में बैठे छात्रों पर गोलियों चलाने, जिसमें छात्रो/चालक के बाल बाल बच जाने की सूचना के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 463/24 धारा 190/191/109 बी0एन0एस0 अभियोग पंजीकृत कर किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **01 बाल अपचारी** को तहसील वाली गली, कस्बा देवबंद से पुलिस हिरासत में लिया गया है। बाल अपचारी के कब्जे से 01 तंमचा/ 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना मे प्रयुक्त बुलट मोटरसाइकिल बरामद । वैधानिक कार्यवाही कर बाल अपचारी उपरोक्त को मा0 न्यायालाय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- बाल अपचारी को विश्वास में लेकर दिनांक 23.08.2024 को हुई घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो बाल अपचारी ने बताया कि सर्वोदय ज्ञान पब्लिक स्कूल में पढने वाले एक लड़के से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी मैंने इसे सबक सिखाना का निश्चय किया इसी उद्देश्य से मैंने अपने दोस्तो से इस बारे में बताया और हम सब ने यह निश्चय किया कि उस लड़के के स्कूल पर चलकर उसे सबक सिखाया जाए इसी उद्देश्य से हम पांचो दोस्त बुलेट व स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से स्कूल की छुट्टी होने के समय सर्वोदय ज्ञान पब्लिक स्कूल के सामने आकर खड़े हो गए और उस लड़के के निकलने का इंतजार करने लगे लेकिन वो लड़का स्कूल की बस में बैठकर आया जिसे हमने बस में जाता हुआ देख लिया और हम बस का पीछा करने लगे गांव मकबरा से थोड़ा आगे जाने पर हमने बस रुकवाने का प्रयास किया लेकिन बस वाले ने बस नहीं रोकी तो हमने बस पर तमंचे से फायरिंग कर दी और वहां से भाग गये।

बरामदगी का विवरणः-

01 तमंचा 315 बोर

02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

01 बुलट मोटर साईकिल रंग काला न0 DL8SBX6328

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 संदीप भाटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 पवन कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 25.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में वांछित/वारन्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 **वारंटी अभियुक्त लोकेश पुत्र वेगपाल उर्फ वेग्घू निवासी ग्राम नानका थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित **वाद संख्या 4631/23 मु0अ0सं0 199/2017 धारा 379/411 भादवि** सम्बन्धित न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता –

- लोकेश पुत्र वेगपाल उर्फ वेग्घू निवासी ग्राम नानका थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. पीसी 1205 रमेश राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 25.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रो सहित किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अवैध शस्त्रो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 25.08.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर **अभियुक्तगण 1. हिमांशु पुत्र स्व0 सोनू कुमार निवासी ग्राम चुन्हेटी गाड़ा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर 2. जीत सिंह पुत्र स्व0 तेल्लूराम निवासी ग्राम चुन्हेटी गाड़ा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को अंडरपास के पास छिदबना की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01-01 चाकू बरामद किये गये । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0-316/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर दोनो ने एक राय होकर बताया कि हम दोनो चोरी/नकबजनी आदि अपराध कारित कर धन अर्जित करके अपना खर्चा चलाते है। जीत ने बताया कि में आज अपने साथी हिमांशु के साथ चोरी की घटना करने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने हम दोनो को पकड लिया। हम लोग जनता के लोगो को डराने के लिए चाकू रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. हिमांशु पुत्र स्व0 सोनू कुमार निवासी ग्राम चुन्हेटी गाड़ा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. जीत सिंह पुत्र स्व0 तेल्लूराम निवासी ग्राम चुन्हेटी गाड़ा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण–

02 चाकू

अभियुक्त जीत सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 0646/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 0657/2021 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 0061/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. का0 2380 हरवेन्द्र थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. का0 2503 राहुल कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर